गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.05.2023 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.05.2023 को प्रातः 10:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रहीः–

1.	प्रो0 आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 पी.के. बाजपेयी	सदस्य
3.	प्रो0 प्रवीण कुमार मिश्रा	सदस्य
4.	प्रो0 अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
5.	प्रो0 एम.एन. त्रिपाठी	सदस्य
6.	प्रो0 शरद चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
7.	प्रो0 सीमा राय	सदस्य
8.	प्रो0 राजेन्द्र मेहता	सदस्य
9.	प्रो0 सी.एस. वझलवार	सदस्य
10.	प्रो0 ब्रजेश तिवारी	सदस्य
11.	प्रो0 एस.सी. तिवारी	सदस्य
12.	प्रो0 एम.के. सिंह	सदस्य
13.	डॉ0 बुद्धेश्वर प्रसाद सिंगरौल	सदस्य
14.	डॉ0 बी.आर. रावटे	सदस्य
15.	डॉ0 पायल बनर्जी	सदस्य
16.	प्रो0 मनीष श्रीवास्तव, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :–

1. प्रो0 ए.एस. रणदिवे
2. प्रो0 व्ही.एस. राठौर

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तथा कुलपति महोदय के द्वारा विश्वविद्यालय के सभी सदस्यों को मिलकर कार्य करने प्रोत्साहित किया गया एवं विश्वविद्यालय को प्राप्त अनुदानों की जानकारी दी, तत्पश्चात् निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र.01 **विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 304.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30.04.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 02 **विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30.04.2023 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30.04.2023 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की।

Mcell~1\SC\..\SC 13-05-2023

13/05/2023

विषय क्र. 03. **इंदिरा कला संगित विश्वविद्यालय खैरागढ़ एवं विश्वविद्यालय, बिलासपुर के मध्य समझौता ज्ञापन के अंतर्गत Two year Diploma in Art Appreciation in painting, One year diploma in theatre, Diploma in Communicative English पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि इंदिरा कला संगित विश्वविद्यालय खैरागढ़ एवं विश्वविद्यालय, बिलासपुर के मध्य समझौता ज्ञापन के अंतर्गत पाठ्यक्रम संबंधी प्रस्ताव का संशोधनों के साथ अनुमोदन किया जाय। स्थायी समिति उक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान की।

विषय क्र. 04. **गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और HDFC Bank Limited के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और HDFC Bank Limited के बीच समझौता ज्ञापन का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 05. **सिविल सोसाईटी केन्द्र द्वारा Procter & Gamble in collaboration with the Centre for Civil Society स्कॉलरशिप बेटियां फेलोशिप के लिए जुलॉजी, केमेस्ट्री, बॉटनी एवं माइक्रोबायोलॉजी के छात्राओं को स्नातक के छात्राओं को उक्त संस्था द्वारा स्कॉलरशिप प्रदान किये जाने पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि सिविल सोसाईटी केन्द्र द्वारा Procter & Gamble in collaboration with the Centre for Civil Society स्कॉलरशिप "बेटियां फेलोशिप" के लिए जुलॉजी, केमेस्ट्री, बॉटनी एवं माइक्रोबायोलॉजी के स्नातक की छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने संबंधी जानकारी की सूचना ग्रहण की गई एवं निर्णय लिया गया कि उक्त संस्था से अनुदान प्राप्त करने तथा छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

विषय क्र. 06. **अध्ययन मण्डल सिविल इंजीनियरिंग विभाग की अनुशंसित पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अध्ययन मण्डल सिविल इंजीनियरिंग विभाग की अनुशंसित पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया जाय।

विभागाध्यक्ष सिविल इंजीनियरिंग विभाग यह सुनिश्चित करेंगी की प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना प्रभावी अध्यादेश के अनुरूप हों।

विषय क्र. 07. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी व्यथा निवारण विनियम पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी यथा निवारण विनियम 2023 को अंगीकृत किया जाय तथा उक्त विनियम में उल्लेखित समिति एवं लोकपाल की नियुक्ति संबंधी कार्यवाही की जाय।

13/5/2023

विषय क्र. 08. **शोध विनियम 2023 में संशोधन पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि शोध विनियम 2023 के पैराओं में प्रस्तुत प्रस्तावित संशोधन के अनुसार संशोधन कर लिया जाय।

स्थायी समिति ने प्रस्तावित संशोधनों में पैरा R5.1d को अमान्य किये जाने का निर्णय लिया।

विषय क्र. 09. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी शारीरिक स्वस्थता, खेलकूद, स्वास्थ्य आदि के उन्नयन संबंधी दिशा–निर्देश पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी शारीरिक स्वस्थता, खेलकूद, स्वास्थ्य आदि के उन्नयन संबंधी दिशा–निर्देश को अंगीकृत किया जाय।

विषय क्र. 10. **स्कूल ऑफ लॉ के विधि विभाग द्वारा प्रस्तावित 2023–24 के शैक्षणिक सत्र से आदिवासी विकास और विधि पर छः महीने का सर्टिफिकेट कार्यक्रम के संबंध में विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि स्कूल ऑफ लॉ के विधि विभाग द्वारा प्रस्तावित 2023–24 के शैक्षणिक सत्र से आदिवासी विकास और विधि पर छः महीने का सर्टिफिकेट कार्यक्रम का अनुमोदन आंशिक संशोधन के साथ किया जाय।

विषय क्र. 11. **विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं विभिन्न छात्र संगठनों से सेमेस्टर शुल्क में हुई वृद्धि के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि शुल्क वृद्धि संबंधी निर्णय यथावत् रखा जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि आर्थिक रूप से कमजोर कोई विद्यार्थी यदि एलुमनी एशोसियेशन के सदस्यता संबंधी शुल्क की वापसी चाहते हैं तो आर्थिक अक्षमता संबंधी प्रमाण सहित आवेदन अधिष्ठाता छात्र कल्याण को विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

स्थायी समिति ने यह और भी निर्णय लिया कि उक्त आवेदनों पर यथोचित निर्णय लिये जाने हेतु कुलपति महोदय अधिकृत रहेंगे।

विषय क्र. 12. **अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 11.05.2023 पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि यह विषय स्थगित रखा जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.वि.क्र.–1 स्थायी समिति के समक्ष अशैक्षणिक पदों पर भर्ती संबंधी विज्ञापन प्रारूप, आरक्षण रोस्टर समिति की अनुशंसा प्रस्तुत की गई तथा प्रयोगशाला से संबंधित पदों के भर्ती नियम में विषय का उल्लेख किये जाने संबंधी मार्गदर्शन चाहा गया।

1. विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने रोस्टर समिति की अनुशंसा दिनांक 12.05.2023 का अनुमोदन किया।

2. विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रयोगशाला के उक्त पदों के लिए अर्हता में यह उल्लेखित कर दिया जाय कि किसी भी विज्ञान एवं/अथवा तकनीकी विषय में स्नातक उम्मीदवार उक्त पदों के लिए अर्ह होंगे।

3. विद्यापरिषद की स्थायी समिति द्वारा उपरोक्त संशोधन के साथ विज्ञापन का अनुमोदन किया गया।

अ.अ.वि.क्र.–2 विश्वविद्यालय में किलकारी डे केयर नाम से संचालित होने वाले केन्द्र के लिए शुल्क निर्धारण संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा की गई एवं निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव में से शुल्क निर्धारण संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय। शेष अनुशंसायें प्रशासनिक निर्णयों के अधीन रहेंगी।

अ.अ.वि.क्र.–3 प्रो0 एस.एन. साहा, सेवानिवृत्त के सेवाओं तथा सेवानिवृत्ति उपरान्त भुगतान किये जाने योग्य राशियों पर चर्चा की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि प्रो0 एस.एन.साहा द्वारा जमा कराये गये सीपीएफ अंशदान का भुगतान उन्हें कर दिया जाय। सीपीएफ खाते में जमा विश्वविद्यालय अंशदान एवं अन्य स्वत्वों का भुगतान संबंधी निर्णय प्रो0 एस.एन. साहा के सेवाओं के संबंध में लिये जाने वाले अंतिम निर्णयों के अधीन रहेगा।

अ.अ.वि.क्र.–4 अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किये जाने वाले पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा की गई एवं निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव का आंशिक संशोधनों के साथ अनुमोदन किया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

13/05/2023

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव **कुलपति/अध्यक्ष**